हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 15 अंक : 04 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अप्रेल, 2024

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

सामने आया दोनों बड़ी पार्टियों का मन

तो क्या बिना जाति आरक्षण मुद्दे के हो रहे लोकसभा चुनाव!!!

जयपुर। वैसे तो लोकसभा चुनाव देश की सबसे बड़ी घटना है। इस सबसे बड़ी घटना में राजस्थान पत्रिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पूरे-पूरे पृष्ठ के दो इंटरव्यू। वो भी चुनाव से दो दिन पहले।

दोनों ही इंटरव्यू में बदलते या यूँ कहें भविष्य के भारत की स्पष्ट झलक दिखती है। स्वाभाविक तौर पर पहले प्रधानमंत्री और अगले दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का इंटरव्यू हैं। ये कोई दो बड़े नेताओं की बहस नहीं बल्कि पूरी तैयारी और समझ के साथ तैयार की गयी प्रश्नावली के सधे हुए उत्तर है। दोनों इंटरव्यू अपनी जगह खास हैं लेकिन तथ्यत: बात ये है कि प्रधानमंत्री के इंटरव्यू को पूरा पृष्ठ मिला है जबकि उनसे केवल सात प्रश्न पूछे गये। दूसरी तरफ दो तिहाई पेज में छपे खड़गे के इंटरव्यू में कुल 17 प्रश्न पूछे गये हैं।

अर्थात यदि विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो दोनों इंटरव्यू में कुल 17 एवं 7 यानि 24 प्रश्न पूछे गये। यहाँ चौंकने की बात ये है कि सभी 24 प्रश्नों में से एक में भी जाति आरक्षण से सम्बंधित कोई बात न पूछी गयी है और न ही उत्तर में इसका जिक्र है। इतना ही नहीं कथित जातिवाद का नाम तक नहीं लिया गया है। इससे ये साफ-साफ दिन के सूर्य की तरह स्पष्ट होता है कि भारत देश अपने कंधों से जातिवाद और आरक्षण का जुआ उतार चुका है।

छत्तीसगढ़: राज्य सरकार का आदेश निरस्त

प्रमोशन में आरक्षण राज्य में लागू नहीं होगा: हाईकोर्ट

बिलासपुर । हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 2019 में जारी राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य द्वारा प्रमोशन में आरक्षण के लिए जारी अधिसूचना पर रोक लगाई थी।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बैंच ने फैसले में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के आदेश लागू करने में सुप्रीम कोर्ट की सविंधान पीठ के निर्देशों एवं संविधानिक प्रावधान का पालन नहीं किया। प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए हर विभाग से जातिगत डाटा एकत्रित कर केवल जिन्हें जरुरत है, उन्ही एस.एसटी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। जबकि डाटा पूर्ववर्ती सरकार ने कलेक्ट नहीं किया था।

यह था मामला

अधिसूचना में प्रथम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देने की बात कही गयी थी। अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत वहीं अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण की 32 प्रतिशत व्यवस्था की गई। आरक्षण प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति होने, द्वितीय श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति और तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत होने पर मिलने की बात थी। इसके खिलाफ जनहित याचिका लगाई थी।

अध्यक्ष की कलम से

''विवेकी मतदान''

साथियों,

चुनाव आयोग सरकारी अफसर, प्रेस, मीडिया, सोशल मीडिया, साधारणजन, प्रबुध्दजन आदि-आदि सभी कह रहे मतदान करो, जरूर मतदान करो। लेकिन इनमें से एक ने भी कभी नहीं कहा. ''विवेक सम्मत'' मतदान करो।

जीवन भले ही अस्थिर है। हमारा अपना कुछ भी नहीं। यहाँ तक साँसे भी हमारी अपनी नहीं हैं। लेकिन जितने समय तक भी जीवन है तब तक एक तत्व असंदिग्ध रूप से हमारा है। और वो है हमारा अपना विवेक।

आगे-पीछे दायें-बायें कुछ भी याद कर ले। जब-जब हम विवेक का सहारा लेते है तब तब हम ही सही सिध्द होते हैं। लोकसभा चुनाव सच में भारत के भाग्य विधाता होते हैं। अत: हमें मतदान तो करना ही है लेकिन विवेकी मतदान करना है। बेशक आजादी के बाद 70-72 साल कथित सवर्ण उपेक्षा और प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। अब भी यदि ई डब्लू एस को छोड़ दें तो कौन हे जिसने हमारे बारे में सोचा है?

प्रश्न आरक्षित-अनारक्षित की सीमाओं से बाहर आ चुका है। भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा बचा केवल शक्तिशाली भारत देश। इसके लिए हम सब की अपनी भूमिकाए निर्धारित हैं। हमें मात्र विवेक का प्रयोग करके उन्हें प्रमाणित करना है। तो बढ़ो आगे और शेष 5 चरणों के लिये बढ़ चढ़कर मतदान को प्रेरित हों व प्रेरित करें। लेकिन ''विवेकी मतदान''

जय समता

आरक्षण न खत्म करेंगे न ही किसी को करने देंगे :: शाह

भाजपा व मोदी जब तक है, आरक्षण को कोई आंच नहीं आने दी जायेगी : विनय सहस्त्रबुध्दे

अलवर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलवर में कांग्रेस पर जमकर बोला। भूपेंद्र यादव के लिए प्रचार करने आए शाह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अफवाह फैलाती है। कभी आरक्षण पर तो कभी दलित और आदिवासी भाईयों को लेकर। हम न तो आरक्षण खत्म करेंगे, और न ही किसी को खत्म करने देंगे। पीएम खुद आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक है। कांग्रेस ओबीसी वर्ग की विरोधी पार्टी है। पिछड़ा वर्ग से कांग्रेस ने सालों तक अन्याय किया। काका साहेब लालेलकर और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर रखा।

उधर लोकसभा चुनाव हेतु राजस्थान के प्रभारी विनय सहस्त्रबुध्दे ने कहा कि भाजपा एवं मोदी जब तक है, आरक्षण को कोई आंच नहीं आने दी जायेगी।

भारतीय जनता पार्टी जिला टोंक के मीडिया सेन्टर का उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा चुनाव हेतु राजस्थान के प्रभारी विनय सहस्त्रबुध्दे ने ने मीडिया सेन्टर पर प्रेस वार्ता में पत्रकारों से संवाद किया तथा मोदी सरकार की योजनाओं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

आरक्षण पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहां की भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को समाज सुधार की दृष्टि से देखती है और आवश्यक मानती है। उन्होंने कहां की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक आरक्षण को कोई आंच नहीं आने दी जायेगी।

दूसरी तरफ कांग्रेस का एससी-एसटी मोह

सभी जानते है कि जड़ों से कमजोर हुई कांग्रेस का वोट बैंक बिखर चुका है। ये पार्टी अब भी 20 प्रतिशत की आशा में 50 प्रतिशत पर ध्यान नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ एससी-एसटी का उसका वोट बैंक भी लूट चुका है। राजनैतिक चेतना पे आरक्षित वर्गों में अपना नेतृत्व खड़ा करने का जो प्रयास किया था वह फेल हो चुका है।

दूसरी तरफ कांग्रेस के 80 वर्षीय अध्यक्ष खड़गे अभी भी बदलते भारत को समझने को तैयार नहीं हैं। हाल ही उन्होंने कहा है कि एस सी और एस टी को बजटीये संसाधनों में संतुलित और पर्याप्त हिस्सेदारी के लिए 1970 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी की विशेष घटक योजना और जनजातीय उपयोजना को कांग्रेस पुनजीवित करेगी और कानून के जरिये लागू करेगी।

अपने इस कथन से ठीक उलट कांग्रेस ने ही जाति आधारित जनगणना की बात करके ओबीसी को विशेष तवज्जो देने का मानस प्रकट कर दिया है।

ई.डब्ल्यू.एस आरक्षण का लाभ केवल सामान्य वर्ग को ही क्यों : मध्यप्रदेश राज्य हाई कोर्ट

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि जब गरीब जनता प्रत्येक वर्ग व जाति में है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ केवल सामान्य वर्ग को ही क्यों दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सचिव सहित इन्हें नोटिस जारी किया गया है। एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस की ओर से अधिवक्ताओं ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने इस आरक्षण नियम की संवैधानिकता को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यह नीति संविधान के अनुच्छेद 15(6)एवं 16(6) से असंगत है। इस नीति में ओबीसीए एससी व एसटी को पूरी तरह से वंचित किया गया है। यह आरक्षण संविधान की मूल भावना के विपरीत है।

सम्पादकीय

नया संविधान !!!

19 अप्रैल को प्रथम चरण में 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और इस अंक के बटने तक 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव भी हो चुके होंगे। सभी चरणों के चुनावों के बाद 4 जून को परिणाम घोषित होने की सूचना हैं। इन लोकसभा चुनावों में सबसे बड़ा बहस का मुद्दा है सविंधान का बदला जाना। सत्ता पक्ष की 400 सीटों पर जीतने की मंशा पर विपक्ष की शंका है कि भाजपा की सरकार यदि इतनी अधिक सीटें जीतकर सत्ता में आई तो वह निश्चित रूप से सविंधान को बदल देगी। इसकी पुष्टि में वे नए संसद भवन के निर्माण, अमर जवान ज्योति का स्थान परिवर्तन आदि अनेक उदाहरणों को अवचेतन में रखते हैं।

हालांकि गृहमंत्री और स्वयम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर चुके हैं कि ''स्वयम अम्बेडकर भी आ जाए तो वे सविंधान को नहीं बदल सकते हैं''। लेकिन डॉ. अम्बेडकर का नाम इस तरह से लिया जाना कहीं न कहीं आशंका को जन्म देता है। क्योंकि भारतीय सविंधान 298 स्वतंत्रता सेनानियों की सविंधान सभा द्वारा गहन विचार विमर्श के बाद तैयार हुआ है और इनमें 20 महिलाऐं भी शामिल थीं ।

सभी बातों पर और संभावनाओं पर विचार किया जाना लोकराज की विशेषता होती है। इस दृष्टि से देखें तो भारतीय सविंधान भारत का होते हुए भी भारत का नहीं कहा जा सकता। इसे लिखने और तैयार करने में तत्कालीन दुनिया के 60 देशों के सविंधान का अध्ययन करके क्रमश : अमेरिका, ब्रिटेन,सोवियत संघ (तत्कालीन)फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों के सविंधान की अतिविशेष बातों को शामिल किया गया।

कहा जा सकता है कि भारतीय सविंधान एक तरह से शोध प्रबंध है जिसमे- अमेरिका से मौलिक अधिकार कनाडा से पावरफुल सेंटर (केंद्र सरकार), ब्रिटेन से दो सदन की संसद, फ्रांस से हर धर्म और समुदाय में समानता, सोवियत संघ से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, जर्मनी से आपत्कालीन शक्तियाँ, जापान से संसदीय सर्वोच्यता और दक्षिण अफ्रीका से सविंधान में संशोधन को शामिल किया गया है। किस दृष्टि से देखा जाए तो यह पूरी दुनिया के सविंधानों का निचोड़ है।

अनेक देशों की बढिया बाते शामिल करके बने भारतीय सविंधान में जहाँ जापान के 2600 साल पुराने सविंधान का अंश है तो आज भी 43 देश ऐसे है जहाँ राजतंत्र है। इन सब बातों के बावजूद कुछ ऐसा अवश्य है जो देश में नए सविंधान की मांग को नकार नहीं पाता है। इनमे एक तो यही है कि आजाद देश के पहले 70-72 सालों में ही सविंधान में लगभग 110 संशोधन किये जा चुके हैं।

यूनाइटेड किंगडम का सविंधान बार लिखा जा चूका है तो सऊदी अरब, इजराइल,न्यूजीलैंड आदि देशों में तो लिखित सविंधान ही नहीं है। अर्थात किसी देश का सविंधान पूरी तरह उसका निजी मामला है जिसे विश्व समुदाय की मान्यता प्राप्त होती है। भारत जैसे विविधता वाले देश का सविंधान बदलना आसान तो नहीं है। लेकिन कोई पार्टी, संसद और सरकार यदि ऐसा पुरुषार्थ करती है तो उससे असहमति कई ठोस आधार नहीं है।

जय समता

- योगेश्वर झाड़सरिया

आरक्षित जनप्रतिनिधियों को संतुलित रखती है लोकतांत्रिक मर्यादा

मोटे तौर पर देखने पर लोकतंत्र एक खुरदरी और बिखरी-छितरी व्यवस्था दिखाई देती है। लेकिन भीतरी जड़ों पर ध्यान दें तो आभास होता है कि यहां कहने से ज्यादा सहने का महत्व है। यह बात चुने गये सांसदों और विधायकों पर सीधे लागू होती है। वे दोषी होते हुये भी निर्दोष दिखाई देते है। उनका ऐसा दिखना एक संरचनात्मक मजबूरी है क्योंकि उनका चुना जाना उनके अपने समुदाय के वोटों पर निर्भर ही नहीं है। मिसाल के तौर पर जिग्नेश मेवानी वडगाम सीट पर 15 प्रतिशत दलित वोटर की वजह से नहीं, 85 प्रतिशत ग़ैर-दलित वोटरों के समर्थन से चुने गए हैं। उस सीट के सारे दलित मिलकर भी कभी किसी को जिता नहीं सकते. सुरक्षित सीटों पर कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आ सकता, जो दलित या आदिवासी हितों के लिए आक्रामक तरीके से संघर्ष करता हो, और ऐसा करने के क्रम में अन्य समुदायों को नाराज़ करता हो। संसद और विधानसभा में सीटों के रिज़र्वेशन की व्यवस्था पर सवाल उठाने का समय आ गया है। बेहतर होगा कि ये सवाल खुद अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर से आएं। इस दिशा में समता आन्दोलन पहल कर चुका है।

संविधान का अनुच्छेद 334, हर दस साल पर दस और साल जुड़कर बदल जाता है। इसी प्रावधान की वजह से लोकसभा की 543 में से 79 सीटें अनुसूचित जाति और 41 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिज़र्व हो जाती हैं। वहीं, विधानसभाओं की 3,961 सीटों में से 543 सीटें अनुसूचित जाति और 527 सीटें जनजाति के लिए सुरक्षित हो जाती हैं। इन सीटों पर वोट तो सभी डालते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एससी या एसटी का होता है। लोकसभा और विधानसभाओं में आज़ादी के समय से ही अनुसूचित जाति और जनजाति का उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व रहा है। सवाल यह उठता है कि इतने सारे दलित और आदिवासी सांसद और विधायक अपने समुदाय के लिए करते क्या हैं? नेशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो के इस साल जारी आंकड़ों के मुताबिक इन समुदायों के उत्पीड़न के साल में 40,000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है। जाहिर है कि इन आंकड़ों के पीछे एक और आंकड़ा उन मामलों का होगा, जो कभी दर्ज ही नहीं होते हैं।

क्या दलित उत्पीड़न की इन घटनाओं के ख़िलाफ़ दलित सांसदों या विधायकों ने कोई बड़ा, याद रहने वाला आंदोलन किया है? ऐसे सवालों पर, संसद कितने बार ठप की गई है और ऐसा रिज़र्व कैटेगरी के सांसदों ने कितनी बार किया है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि देश की 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी वाइस चांसलर अनुसूचित जाति का नहीं है या कि केंद्र सरकार में सेक्रेटरी स्तर के पदों पर अक्सर एससी या एसटी का कोई अफसर नहीं होता। शासन के उच्च स्तरों पर अनुसूचित जाति और जनजाति की अनुपस्थिति क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों के लिए चिंता का विषय है? चूंकि सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार घट रही है और हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठी है, लेकिन क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों और विधायकों के लिए यह कोई मुद्दा है? इसी तरह की एक मांग उच्च न्यायपालिका में आरक्षण की भी है। खासकर संसद की कड़िया मुंडा कमेटी की रिपोर्ट में न्यायपालिका में सवर्ण वर्चस्व की बात आने के बाद से यह मांग मज़बूत हुई है. लेकिन क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों ने कभी इस मुद्दे पर संसद में पुरज़ोर तरीक़े से मांग उठाई है? 120 से ज़्यादा एससी और एसटी सांसदों के लिए किसी मुद्दे पर संसद में हंगामा करना और दबाव पैदा करना मुश्किल नहीं है। इन सांसदों का एक ग्रुप भी है और जो अक्सर मिलते भी हैं लेकिन देश ने कभी इन सांसदों को अपने समुदायों के ज़रूरी मुद्दों पर आंदोलन छेड़ते नहीं देखा है।

अगर ये सांसद अपने समुदाय के सवालों को नहीं उठाते तो फिर वे चुने कैसे जाते हैं? क्या उन्हें हारने का भय नहीं होता? यह वह सवाल है, जिसमें इन सांसदों और विधायकों की निष्क्रियता का राज छिपा है। संविधान की व्यवस्था के मुताबिक, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, लेकिन वोटर तमाम लोग होते हैं। किसी भी आरक्षित लोकसभा सीट पर अगर मान लें कि 20 फीसदी अनुसूचित जाति के वोटर हैं, तो 80 फीसदी वोटर अन्य समूहों के हैं। अनुसूचित जाति के किसी नेता का सांसद चुना जाना इस बात से तय नहीं होगा कि अनुसूचित जाति के कितने लोगों ने उसे वोट दिया है। अनुसूचित जनजाति की कुछ सीटों को छोड़ दें, जहां एसटी वोटर 50 फीसदी से ज़्यादा हैं तो ज़्यादातर आरक्षित सीटों की यही कहानी है। चुना वह जाएगा जो आरक्षित समूह से बाहर के ज़्यादातर वोट हासिल करेगा। आरक्षित चुनाव क्षेत्रों के इस गणित का मतलब यह है कि अगर कोई नेता अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर आंदोलन करेगा या निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करेगा, तो दूसरे समुदायों की आंख में उसका खटकना तय है। यह उस नेता के लिए राजनीतिक आत्महत्या का रास्ता होगा। यह पूरी तरह विवशता की स्थिति है। आप अनुसूचित जाति-जनजाति के सांसद हैं, पर अनुसूचित जाति-जनजाति के सवालों पर आप मुखर नहीं हो सकते।

इसके अलावा एक और समस्या है। भारत में ज़्यादातर सांसद किसी न किसी दल से चुने जाते हैं। यह रिज़र्व सीटों से चुने जाने वाले सांसदों के लिए भी सच है। संविधान की दसवीं अनुसूची, यानी दलबदल कानून की वजह से ये सांसद दलीय अनुशासन से बंधे होते हैं, वरना उनकी सदस्यता छिन सकती है। ऐसे में जब तक राजनीतिक दलों की नीतियां अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में न हों, तब तक रिज़र्व कैटेगरी से चुनकर आने वाले सांसदों और विधायकों के लिए करने को ख़ास कुछ नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण संसद की वह घटना है जब एससी और एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण का विधेयक फाड़ने का दायित्व समाजवादी पार्टी ने एक एससी सांसद यशवीर सिंह को सौंपा और उन्होंने यह कर दिखाया. यशवीर सिंह उस समय उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद थे। इस सीट पर एससी 21 फीसदी हैं और मुसलमान 53 फीसदी। नगीना रिज़र्व सीट से सांसद बनने के लिए एससी वोट से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुसलमान और अन्य समूहों के वोट हैं इसलिए यशवीर सिंह ने एससी के हित के ऊपर समाजवादी पार्टी को रखा क्योंकि उनका गणित रहा होगा कि मुसलमान वोट उन्हें सपा में होने के कारण मिलेंगे। एक उदाहरण बीजेपी सांसद उदित राज का भी है। आईआरएस की नौकरी छोड़कर उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति का परिसंघ बनाया। इन समुदायों के हितों के सवाल पर वे सबसे ज़्यादा मुखर स्वर में से एक रहे। लेकिन जब तक वे यह करते रहे, तब तक अनुसूचित जाति ने भी उन्हें अपना नेता नहीं माना और वे कोई चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही इन्हें सवा छह लाख से ज़्यादा वोट मिल गए। ज़ाहिर है कि अनुसूचित जाति के वोटर भी अपने हितैषी को नहीं, किसी पार्टी के कैंडिडेट को ही चुनते हैं। तो जीतने के बाद वह कैंडिडेट किसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेगा? यह एक सरल गणित है। अब शायद समय आ गया है कि ऐतिहासिक पूना पैक्ट की वजह से चली आ रही सुरक्षित सीटों वाली इस व्यवस्था को ख़त्म करके वो सिस्टम लाया जाए जिसके हामी डा0 आंबेडकर थे. डा0 आंबेडकर चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट यानी सिर्फ़ दलित और आदिवासी वोटर ही अपने प्रतिनिधि चुनें। उन सीटों पर दूसरा प्रतिनिधि भी हो, जिनका चुनाव बाकी लोग करें। अब सब देख रहे हैं कि पूना पैक्ट की दुर्बल संतानें, यानी एससी और एसटी सीटों पर चुने गए जनप्रतिनिधि किस तरह बेअसर साबित हुए हैं.

पौराणिक कथन : अमिताभ

सावर्णि मन्वन्तर के तीन प्रमुख देवों में से एक। इसके अन्तर्गत प्रभु, विभु, विभास, जेता, हन्ता, हरिहा आते है।

मतदानी बनकर दिया वोट,
कि मतदाता की भारी चोट।
लोकतंत्र की मर्यादा को,
सिर्फ बचावे विवेकी वोट।।

कविता

वर्णसंकर घोंसले

सभी दिशाएं नर व नारी,
चल रहे हैं दौड़ते से-
जातियों के दंश लेकर।
चाहते तो हैं सभी ये,
राह कुछ आसान होगी।
बिजलियाँ कड़केंगी मगर
रौशनी गुमनाम होगी।
दंश की गठरी संभाले-
चल रहे है वंश लेकर ।।
दूसरों की लेखनी ले,
वे कथाऐं लिख रहे हैं
हैं अटल अपनी जगह पर,
दौड़ते से दिख रहे हैं
भीड़ को अपना बताते-
एकता का भ्रंश जीकर ।।
सब अलौकिक बने फिरते,
ओढ़नी का ले दुपट्टा।
कौन अपना या पराया,
सकल जन मारें झपट्टा।
झूमते सब दिख रहे हैं-
वाद का अपभ्रंश लेकर।।
चांदनी सी रात में जो,
तमस की रागें सजाते।
स्वर सरित की भूल गरिमा-
ढोल को तबला बताते।
वर्णसंकर घोसलों में-
सब टीके निज वंश लेकर ।।

- **युगान्तर वसिष्ठ** -

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का कहना है, ''हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, जिसका गंतव्य सामाजिक क्रांति है। यह न तो शक्तिहीन है और न ही निश्चल अथवा स्थिर, बल्कि यह पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और मूल्य-सापेक्ष है, जैसा हमारे गणतंत्र की घोषणा है। जहाँ प्राचीन समाजिक अन्याय पूरी भारतीय मानवता के लिए 'आत्मिक धारा' को अवरूद्ध कर देता है, वहाँ हमारा संविधान गुटनिरपेक्ष नहीं रह जाता।

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनके सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है।

क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण है कि 'अंक तो धर्म, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर दिए जाते है'? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की बढ़ती संख्या ही इसका अनुभवजन्य प्रमाण है? बड़े-से-बड़े सक्रियतावादी भी इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सका है कि' अंक तो जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग के आधार पर दिए जाते है।'

अनुच्छेद 335 में किए गए प्रावधान के अनुसार, ''सेवा अथवा विभाग की कुशलता या गुणवत्ता को बनाए, रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक अथवा अन्य योग्यता स्तर में ढील नहीं दी जा सकती।''

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

आखिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यो नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते है और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघान होता है।

यह दु:खद बात है कि कानून-निर्माता कभी-कभी अनावश्यक रूप से यह समझने लगते है कि उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीश अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(4) के अंर्तगत रखी गई शर्तो की ओर से पूरी तरह उदासीन हैं। न्यायपालिका संविधान के तीन अंगों में से एक है और जिन लोगों को न्याय-प्रशासन के मामलों का कार्यभार सौंपा जाता है, उन्हें संवैधानिक शर्तों-प्रावधानों की विशेष समझ होनी चाहिए।

समता महोत्सव माह-2024 ''दिशा निर्देश''

साथियों

जय समता। आगामी 11 मई 2024 को समता आन्दोलन समिति की स्थापना को 16 वर्ष पूर्ण हो रहे है। समता आन्दोलन की स्थापना दिनांक 11 मई 2008 को जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के बगीचें में कुल ग्यारह संस्थापक सदस्यों की पूर्वाह्न 11.00 बजे शुरू हुई बैठक में की गई थी। कुल ग्यारह साल के छोटे से कार्यकाल में समता आन्दोलन सभी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और सहयोग से पूरे भारतवर्ष में अपनी किस्म का सबसे बडा गैर-राजनैतिक संगठन बन गया है। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी समता आन्दोलन के स्थापना दिवस 11 मई के उपलक्ष में सभी प्रदेश, सम्भाग, जिला व तहसील मुख्यालयों पर '' स्थापना महोत्सव माह '' धूमधाम से मनाया जाना है । स्थापना महोत्सव को जनजागरण अभियान के रूप में मनाया जाना है। अत: पूरे प्रदेश में स्थापना दिवस एकरूपता से मनाया जावें और समता आन्दोलन की प्रगति व उन्नति के लिए सभी कार्यकर्ताओं की दुआएँ संघीभूत होकर क्रियान्वित हों, इसके लिए निम्न कार्यक्रम प्रत्येक प्रदेश, सम्भाग, जिला व तहसील मुख्यालय के लिए निर्धारित किये गये हैं:-

(1) दिनांक 1 मई से 31 मई 2024 के मध्य किसी एक दिन (अपनी सुविधानुसार) सामूहिक बैठक/सभा करके स्थापना महोत्सव मनावें। इस बैठक/सभा में अधिक से अधिक लोगों को बुलाया जावें। सभी को समता आन्दोलन का ''नीतिपत्र''(समता आन्दोलन के बेबसाइट से 'About us' शीर्षक से प्रिन्टआउट लेंवे) पढकर सुनाया जावें तथा एक-एक फोटोप्रति सभी को वितरित की जावें।

(2) मुख्यालय/अपनी बेबसाइट से अब तक की गतिविधियों की जानकारी लेकर इस बैठक में दी जावें, फोटोप्रतियॉ वितरित की जावें।

(3) यह आयोजन आपसी सहयोग से आयोजित किया जावें, सहयोग राशि रू.100/-, 200/-, 500/-(यथा शक्ति) के कूपन पर एक या दो व्यक्तियों को सहभोज करने हेतु आमन्त्रित किया जावें । कूपन का मजमून बेबसाइट से अथवा प्रदेश मुख्यालय से लेंवे। तहसील स्तर पर कम से कम 200 व्यक्ति, जिला स्तर पर कम से कम 1000 व्यक्ति तथा प्रदेश स्तर पर कम से कम 2000 व्यक्ति आवश्यक रूप से बुलाये जावें।

(4) सम्भाग/जिला मुख्यालय पर यदि पदाधिकारी चाहें तो आयोजन में प्रदेश स्तर का कोई पदाधिकारी भी भेजा जा सकता है। इसके लिए तत्काल सूचित करें।

(5) सहभोज का मैन्यु साधारण रखें जैसे दाल/कढी, चावल एंव हलवा अथवा पूरी, सब्जी, बूंदी बस। भोजन का मैन्यु नहीं, बल्कि एक साथ एकत्र होकर सहभोज करना महत्वपूर्ण है। भोजन का समय सामूहिक बैठक के बाद रखा जावें।

(6) इस कार्यक्रम में आपके क्षेत्र के सभी दलों महत्वपूर्ण राजनेता (प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री/एम.पी/एम.एल.ए./जिला प्रमुख/प्रधान/जिलाध्यक्ष/तहसील अध्यक्ष आदि) को जरूर बुलावें। उनके मार्फत एक ज्ञापन अधिकतम हस्ताक्षरयुक्त माननीय मुख्यमंत्री/उनके पार्टी अध्यक्षों को भिजवाये। ज्ञापन का मजमून वेबसाइट से लेवें। कार्यक्रम में जो राजनेता आये हो उन्हें कार्यक्रम के बाद शिष्टमण्डल के साथ जाकर धन्यवाद देकर आवें तथा जो नहीं आये हो उन्हें विनम्रता से अपनत्व भरा उलाहना देकर आवें।

(7) इस कार्यक्रम में स्थानीय सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक आदि संगठनों के अधिकतम लोगों को भी आमंन्त्रित करें ताकि उन्हें समता आन्दोलन की रीति नीति के बारे में व्यापक जानकारी मिल सकें । राजकीय अथवा निजी क्षेत्र के बडें अधिकारियों को भी आमन्त्रित करें।

(8) प्रिन्ट एंव इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लोगों को भी आमन्त्रित करें।

(9) कृपया आमंत्रित राजनेताओं के मार्फत माननीया मुख्यमंत्री को अथवा उनके पार्टी अध्यक्षों कोभेजे गये अधिकतम हस्ताक्षरयुक्त पूरे ज्ञापनों की फोटो प्रति प्रदेश मुख्यालय को जरूर भेजें। ज्ञापन का मजबून समता आन्दोलन की बेवसाइट से डाउनलोड कर लेवें।

(10) सफ्ल आयोजन के लिए अधिकतम लोगों का आना सुनिश्चित करें जिसके लिए बडा परिश्रम करते हुए अधिकतम कूपन (रू.100/-वाले) वितरित किये जावें।

(11) सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करें। प्रत्येक जिला व तहसील मुख्यालय पर वाट्सअप के क्रमश: 10-10 व 5-5 ग्रुप अधिकतम राष्ट्रवादियों को शामिल करते हुये समता आन्दोलन समिति के नाम से बनावें और भरपूर प्रचार प्रसार करें।

(12) कार्यक्रम पूरा होने पर कार्यक्रम में आये लोगों के नाम व मोबाईल नम्बर, प्रेस कवरेज की कटिंग्स आदि की सूचना प्रदेश मुख्यालय को अवश्य भेजें ताकि यह जानकारी बैबसाईट पर अपलोड की जा सकें कि कौन सी सम्भाग, जिला या तहसील इकाई कितनी क्रियाशील है।

(13) कोई प्रदेश, संभाग, जिला या तहसील इकाई किसी नई थीम पर स्थापना महोत्सव मनाना चाहे तो वे नई थीम पर भी स्थापना महोत्सव मना सकते है। कृपया नई थीम पर मनाये गये स्थापना महोत्सव की जानकारी हमें जरूर भेजे।

कार्यक्रम की सफ्लता के लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएँ। सभी पूरे जोश से अपने क्षेत्र के कार्यक्रम को सफ्ल बनावें ।

जय समता

– पाराशर नारायण शर्मा, अध्यक्ष समता आन्दोलन समिति

जनरल वर्ग के राजनीति विंग ने मांगों नहीं मानने पर जताया रोष

जनरल वर्ग के राजनीति विंग ने फैसला लिया कि जो राजनीति पार्टी उनकी मांगों का हल करेगी या हल करने का विश्वास दिलाएगी उस पार्टी की चुनाव में मदद की जाएगी। यह बात जनरल वर्ग के राजनीति के नेता बलवीर सिंह फुगलाण, जसवीर सिंह गडांग व जगदीश सिंगला ने यहाँ प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लम्बे समय से राजनीति पार्टियों की ओर से जनरल वर्ग की मांगो को अनदेखा किया जा रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जिसके चलते जनरल वर्ग के लोगों ने एक राजनीतिक विंग का गठन किया है ताकि जनरल वर्ग के लोगों की ओर से एकजुट होकर उनकी मांगों का समर्थन करने वाली पार्टियों की हिमायत की जा सके। जनरल वर्ग के राजनीति विंग के नेताओं ने कहा कि आप सरकार को दो साल हो गए हैं कि लेकिन सरकार ने कमीशन फार जनरल कैटेगरी पंजाब का अभी तक कोई चेयरमैन नहीं लगाया है और न ही कोई दफ्तरी स्टाफ तैनात किया गया है। जिसके चलते जनरल वर्ग के लोगों में पंजाब सरकार के प्रति रोष पाया जा रहा है । दो साल में उनकी मांगो पर चर्चा करने के लिये कैबिनेट कमेटी की ओर से एक बार समय दिया गया, जिसमें वित्तमंत्री हरपाल चीमा, कुलदीप सिंह धालीवाल गैर हाजिर रहे सिर्फ कैबिनेट मंत्री अमन अरोडा ने बैठक की लेकिन वो उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं ले सके।

उन्होंने सीएम भगवंत मान से मांग की है कि उनकी मांगों पर बिना किसी भेदभाव से विचार किया जाए । इस मौके पर अवतार सिंह पटियाला, जसबिंदर सिंह होशियारपुर, वरिंदर सिंह आदि मौजूद थे।

स्थापना दिवस पर फिर बोलेगा समता आन्दोलन

जयपुर। 21 अप्रेल। पूरे जोश और समर्पण के साथ सदस्य अपने समता आंदोलन का स्थापना दिवस मनाने के लिये तैयारियों में जुट गए हैं। इसी को लेकर प्रदेश मुख्यालय जयपुर, के अलावा कोटा, अजमेर, भरतपुर में बैठकों का आयोजन करके स्थापना दिवस 11 मई से शुरू होने वाली एक महीने की समारोह श्रृंखला की रूप रेखा तैयार कर ली गई है।

जबकि चूरू, हनुमानगढ़, अलवर आदि सहित अन्य जिला मुख्यालयों पर भी मीटिंगों का दौर चल रहा है।

कोटा में 26 अप्रैल, अजमेर में 11 मई को दीपमालिका से समारोह शुरू होकर 18 मई को जनसभा होगी। भरतपुर में 25 मई को सार्वजनिक समारोह आयोजित करेगा। कोटा 26 मई को भव्य आयोजन करने जा रहा है।

जयपुर में स्थान निर्धारण, भोजन सूचि आमंत्रण (कूपन) वितरण, कैटरिंग आदि की रुपरेखा निर्धारित करके समता आंदोलन के जिलाध्यक्ष दीपक सिंघल और उनके

सचिव महेश चंद्र शर्मा को सम्पूर्ण दायित्व सौंपा गया। कूपन की धनराशि भी निर्धारित कर ली गयी है। अध्यक्ष के प्रस्ताव पर यह भी सर्वसम्मति से निर्धारित किया गया कि पिछली बार की तरह ही ऑनलाइन समता क्विज कांटेस्ट का आयोजन करके विजेताओं को नगद पुरूस्कार भी दिए जायेंगे।

जयपुर की इसी बैठक में सुनील जैन ने बैकलॉग के मामले को उठाकर उसे सुलझाने के लिए अध्यक्ष जी से सहयोग की मांग की तो उन्होंने कहा कि आप बहुत गंभीरता से इस विषय में काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। आप सभी दस्तावेज तैयार कर ले फिर बैठकर कार्यवाही करते हैं।

भरतपुर में शैक्षिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मत निर्णय हुआ कि भरतपुर में जो समारोह आयोजित होगा उसमे डीग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और गंगापुर की टीमें भी शामिल होंगी जिसमे सभी समतावादी सदस्य भागीदारी करेंगे ये जानकारी समता आंदोलन के भरतपुर जिला अध्यक्ष केदारनाथ पराशर ने बताई। मीटिंग में शैक्षिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष सतीश गुप्ता, नगर अध्यक्ष सुनील बंसल, वार्ड अध्यक्ष अनिल गर्ग, मुकुल लाल शर्मा, ठेकेदार के.के. शर्मा राघवेंद्र सिंह, सुरेश शर्मा, हरिओम हरि, मनोज पराशर आदि ने वैचारिक भागीदारी निभाई।

जम्मू कश्मीर: भर्तियों के लिए नए आरक्षण नियम अधूरे, पदों की अधिसूचना जारी होने में होगी देरी

जम्मू । जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को आरक्षण मिलने के बाद सरकारी भर्ती के लिए नए आरक्षण नियम तय नहीं हुए हैं। इससे नए पदों की अधिसूचना में देरी हो सकती है। इससे सरकारी नौकरी की तैयार में जुटे लाखों उम्मीदवार प्रभावित होंगे। ऐसे में जब तक नए आरक्षण नियमों को नए पदों की अधिसूचना में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक नए पदों की अधिसूचना नहीं हो सकेगी। इसको देखते हुए जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) और जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) ने सामान्य प्रशासन विभाग से नए नियमों को अनुमोदित करने की मांग की है, ताकि भर्ती परीक्षाएं समय पर शुरू हो सकें।

जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया गया है। यह लाभ सरकारी नौकरियों में भी मिलेगा। जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी को अभी सरकार की तरफ से नए आरक्षण नियम नहीं मिले हैं। ऐसे में इन भर्ती एजेंसियों ने उन्हें विभिन्न विभागों की ओर से रेफर किए गए पदों को वापस सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर नए नियमों को शामिल करने की मांग की है।

जेकेएसएसबी को गृह विभाग ने पुलिस कांस्टेबल के 4022 और पीएसआई के 700 पदों पर भर्ती करवानी है। वहीं, जेकेपीएससी की ओर से अधिसूचित किए जाने वाले पदों में भी देरी होगी। ऐसे में अब आचार संहिता के बाद ही कोई पहल शुरू होने की उम्मीद है।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in